भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 73
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'उड़ान' योजना के तहत हवाई संपर्क सुविधा

***73. श्री अरुण भारती:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के अगले चरण में जमुई जिले को शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या जमुई में हवाई संपर्क सुविधा की संभावना का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जमुई जैसे पिछड़े और नक्सल प्रभावित जिले में हवाई संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने से क्षेत्रीय विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या जमुई में हवाई पट्टी के विकास अथवा नए विमानपत्तन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) जमुई को 'उड़ान' योजना के दायरे में सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"उड़ान योजना के तहत हवाई संपर्क सुविधा" के संबंध में श्री अरुण भारती द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 73 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): क्षेत्रीय सम्पर्क योजना – उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-'उड़ान') एक माँग आधारित सतत योजना है जहाँ देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईपट्टियों को जोड़ने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के चरण आयोजित किए जाते हैं। इच्छुक एयरलाइनें माँग के मूल्यांकन के आधार पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन, वैध बोली प्रक्रिया के माध्यम से इनकी पहचान किए जाने और चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को मार्ग अवार्ड किए जाने पर किया जाता है।

बिहार राज्य सरकार ने 'उड़ान' योजना के तहत शामिल करने के लिए जमुई जिले में किसी भी हवाईपट्टी के अस्तित्व को नहीं दर्शाया है। तदनुसार, जमुई में किसी भी हवाईपट्टी को 'उड़ान' योजना के तहत असेवित हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों की संभावित सूची में शामिल नहीं किया गया है।

भारत सरकार ने नए हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के तहत, राज्य सरकारों सहित किसी भी हवाईअड्डा विकासकर्ता को उपयुक्त स्थान की पहचान करना, व्यवहार्यता अध्ययन करना और 'साइट क्लीयरेंस' के लिए केंद्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन पर विचार किया जाता है।

नागर विमानन मंत्रालय की ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अनुसार बिहार के जमुई जिले में नए हवाईअड्डे के विकास के लिए बिहार की राज्य सरकार से इस मंत्रालय अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****